संख्या-20/2015/952/35-3-2015-1(29)/2014

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 15 जुलाई, 2015**

विषय: वर्ष 2014-15 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत काजवे निर्माण परियोजना का स्थल परिवर्तन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 97/ बी.ए.डी.पी. / 2014-15 दिनांक: 18 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद श्रावस्ती में शासनादेश संख्या- 925 /35-3-2014-1(29)/2014 दिनांक: 17 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी ग्राम कथरामाफी, हसनापुर बालूपुरवा मार्ग पर हसनापुर मार्ग के कटान पर काजवे निमार्ण के स्थान पर कथरामाफी बंरगाघाट सम्पर्क मार्ग पर काजवे निमार्ण की एतदद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक: 17 नवम्बर, 2014 की शर्ते यथावत लागू रहेगीं ।
2- काजवे का निमार्ण सन्दर्भित शासनादेश दिनांक: 17 नवम्बर, 2014 द्वारा स्वीकृत लागत रू. 52.39 लाख से ही पूर्ण कराया जायेगा। कोई अतिरिक्त धनराशि देय नही होगी ।

भवदीय,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

संख्या-20/2015/952(1)/35-3-2015-1(29)/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय(इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।

7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

8- कोषाधिकारी, श्रावस्ती ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग ।

10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल।

11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्रावस्ती ।

12- राज्य योजना आयोग-।

13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।